

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन क्रमांक-3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 27/05/2020

क्रमांक 979 /4021/2019/1/59 :: डॉ0उमाशंकर सोनी, (सेवानिवृत्त) सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला दतिया की याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 4873/2010 में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय 11.07.2016 के पालन में एवं अवमानना याचिका क्रमांक 989/2017 जिसके संबंध में सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी से आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 08.02.1997 से पदोन्नति हेतु रिब्यू डी.पी.सी. का पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.03.2020 को आयोजित की गई।

2/- पदोन्नति समिति द्वारा डॉ.उमाशंकर सोनी, सेवानिवृत्त सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के विचारण वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों में से वर्ष 1993 के गोपनीय प्रतिवेदन में वर्गीकरण नहीं होने पर उनके आगे-पीछे के गोपनीय प्रतिवेदनों के आधार पर एवं उक्त वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन की अभ्युक्तियों के आधार पर उक्त गोपनीय प्रतिवेदन का वर्गीकरण "अच्छा" (श्रेणी-ख) मान्य किया गया। इसके पश्चात भी विचारण वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने के कारण समिति द्वारा पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त (Unfit) पाये जाने की अनुशंसा की गई।

3/- अतः राज्य शासन एतद्वारा डॉ0उमाशंकर सोनी, सेवानिवृत्त सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी दतिया को आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनसे कनिष्ठ को दी गई प्राफार्मा पदोन्नति दिनांक 8.8.1997 से आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा अनुसार मापदण्डों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(कल्पवती उइके)

अवर सचिव

५

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

भोपाल दिनांक 27/05/2020

क्रमांक 980 /4021/2019/1/59

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, सचिव, म.प्र.शासन, आयुष विभाग, भोपाल।
- 2- आयुक्त, आयुष संचालनालय भोपाल।
- 3- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर।
- 4- जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय दतिया।
- 5- संभागीय आयुष अधिकारी ग्वालियर।
- 6- कोर्ट संपर्क अधिकारी, द्वारा-कार्यालय संभागीय आयुष अधिकारी ग्वालियर संभाग ग्वालियर।
- 7- उप संचालक, संचालनालय, आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शन हेतु।
- 8- कोर्ट नोडल अधिकारी, संचालनालय आयुष भोपाल।
- 9- जिला आयुष अधिकारी, जिला दतिया। कृपया आदेश की एक प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु।
- 10- डॉ0उमाशंकर सोनी, सेवानिवृत्त सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, द्वारा-जिला आयुष अधिकारी जिला दतिया।
- 11- स्थापना लिपिक/आर्डर फोल्डर।

अवर सचिव

५

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग